क्रमांक 28/117-79-4 जी0 एस0-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 15 जून, 1979

विषय :- अनिवार्य सेवा निवृति की आयु, सरकारी कर्मचारियों को 50/55 वर्ष की आयु सेवा आगे से में रखने की क्रियाविधि में परिवर्तन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 953-3 एस0-75, दिनांक 1 मई, 1975 द्वारा निर्णय लिया गया था कि वर्ष 1971-72 से पूर्व समय की गोपनीय रिपोर्टों में दी गई प्रतिकूल टिप्पणियों से, जो कर्मचारियों/अधिकारियों को सूचित नहीं की गई, उन्हें अब सूचित न किया जाये और इन पर बिना विचार किये उनके पदोन्नति, दक्षतारोध तथा 50/55 वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा में रहने के केसों पर निर्णय लिया जाये। परन्तु हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 3575-4 जी0 एस0-I-75/24237, दिनांक, 9 अगस्त, 1975 के अनुसार श्रेणी-III तथा श्रेणी -II के कर्मचारियों/अधिकारियों (जो रिकार्ड के आधार पर 50/55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में रखने योग्य हों पर उनकी ईमानदारी कभी संदेहजनक रही हो) के मामले अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व इंटैगरीटी कमेटी के विचारार्थ प्रस्तुत किये जायें । अतः सामान्य प्रशासन विभाग में ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के केस भी इंटैगरीटी समिति के विचारार्थ रखने हेतु प्राप्त हो रहे हैं जिनको 1971-72 से पूर्व समय की रिपोर्टों में ईमानदारी के बारे में दी गई प्रतिकूल टिप्पणीयों से सूचित नहीं किया गया था ।

2. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सरकारी आदेश दिनांक 1 मई, 1975 के अनुसार, 1971-72 से पूव समय की गोपनीय रिपोर्टों में ईमानदारी के बारे में दी गई प्रतिकूल टिप्पणीयों, जो कर्मचारियों/अधिकारियों को सूचित नहीं की गई, पर विचार न किया जाये और उनके 50/55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में रखने के केस सक्षम अधिकारी द्वारा सेवा रिकार्ड के आधार पर निपटाये जायें और यह इंटैगरीटी कमेटी के सम्मुख रखने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को न भेजें जायें ।

भवदीय,

हस्त/-

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।